रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 185] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 28, 1976/ज्येष्ठ 7, 1898
No. 185] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 28, 1976/JYAISTHA 7, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

CENTRAL SECRETARIAT No. Date. GOVT. OF INDIA

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th May 1976

G.S.R. 385 (E).—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends to the Union territory of Chandigarh, the Haryana Relief of Agricultural Indebtedness Act, 1976 (Haryana Act 18 of 1976), as in force in the State of Haryana at the date of this notification, subject to the following modifications, namely:—

Modifications

1. Throughout the Act,—
 (a) for the figures, abbreviation and words "22nd day of August, 1975", wherever they occur, the figures, abbreviation and words "1st day of October, 1975" shall be substituted;
 (b) except in sub-clause (i) of clause (f) of section 2, for the words "State Government", wherever they occur, the word "Administrator" shall be substituted;
 (c) for the words, figures and brackets "Haryana Relief of Agricultural Indebtedness Act, 1975 (Haryana Act 22 of 1975)", wherever they occur, the words, figures and brackets "Haryana Relief of Agricultural Indebtedness Act, 1975 (Haryana Act 22 of 1975), as extended to the Union territory of Chandigarh" shall be substituted.

2. In section 1, in sub-section (2), for the words "by notification", the words "by notification in the Chandigarh Gazette" shall be substituted.

3. In section 2,—

(a) clause (a) shall be relettered as clause (aa) and, before the clause as so relettered, the following clause shall be inserted, namely:—

'(a) "Administrator" means the Administrator of the Union territory of Chandigarh appointed by the President under article 239 of the Constitution;';

(b) in clause (b), in sub-clause (vii), for the words "Central Government in the Gazette", the words "Administrator in the Chandigarh Gazette" shall be substituted.

4. In section 25,—

(a) in sub-section (1), for the words "Official Gazette", the words "Chandigarh Gazette" shall be substituted;

(b) in sub-section (2), for the words "previous publication", the words "previous publication in the Chandigarh Gazette" shall be substituted,

(c) sub-section (3) shall be omitted.

ANNEXURE

THE HARYANA RELIEF OF AGRICULTURAL INDEBTEDNESS ACT, 1976 (HARYANA ACT 18 OF 1976) AS EXTENDED TO THE UNION TERRITORY OF CHANDIGARH

An Act to provide relief from indebtedness to agricultural labourers, rural artisans, marginal farmers and small farmers.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Twenty-seventh Year of the Republic of India as follows:—

1. **Short title and commencement.**—(1) This Act may be called the Haryana Relief of Agricultural Indebtedness Act, 1976.

(2) The provisions of section 3 and 4 shall be deemed to have come into force on the 1st day of October, 1975 and the remaining provisions shall come into force on such date as the Administrator may, by notification in the Chandigarh Gazette, appoint.

2. **Definitions.**—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Administrator" means the Administrator of the Union territory of Chandigarh appointed by the President under article 239 of the Constitution;

(aa) "agricultural labourer" means a person who follows any one or more of the following agricultural occupations in the capacity of a labourer on hire or exchange, whether paid in cash or in kind or partly in cash and partly in kind:—

(i) farming including cultivation and tillage of soil, etc.;

(ii) dairy farming;

(iii) production, cultivation, growing and harvesting of any horticultural commodity;

(iv) raising of livestock, bees or poultry; and

(v) any practice performed on a farm as incidental to or in conjunction with farm operations (including any forestry or timbering operations) and preparation for market and delivery to storage or to market or to carriage for transportation of farm products;

(b) "bank" means—

(i) banking company as defined in the Banking Regulation Act, 1949 (Central Act 10 of 1949);

(ii) the State Bank of India constituted under the State Bank of India Act, 1955 (Parliament Act 23 of 1955);

(iii) a subsidiary bank, as defined in the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (Parliament Act 38 of 1959);

(iv) a corresponding new Bank constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Parliament Act 5 of 1970);

(v) any banking institution notified by the Central Government under section 51 of the Banking Regulation Act, 1949 (Central Act 10 of 1949);

(vi) the Agricultural Refinance and Development Corporation constituted under the Agricultural Refinance and Development Corporation Act, 1963 (Parliament Act 10 of 1963);

(vii) any other financial institution notified by the Administrator in the Chandigarh Gazette as a bank for the purpose of this Act;

(c) "civil court" includes—

(i) a court exercising jurisdiction under the Provincial Insolvency Act, 1920 (Central Act 5 of 1920);

(ii) a Panchayat established under the Punjab Gram Panchayat Act, 1952 (Punjab Act 4 of 1953), while exercising functions of a civil court;

(iii) a court exercising powers under the Provincial Small Cause Courts Act, 1887 (Central Act 9 of 1887);

(d) "Collector" means the Head Revenue Officer of a District, and includes any other officer appointed under this Act by the Administrator, by notification to exercise the powers of a Collector;

(e) "co-operative society" means a society registered or deemed to be registered under the Punjab Co-operative Societies Act, 1961 (Punjab Act 25 of 1961);

(f) "debt" includes all liabilities owing to a creditor in cash or kind, secured or unsecured, payable under a decree or order of a civil court or otherwise and subsisting on the date of commencement of this Act whether due or not due but it does not include—

(i) a debt due to the Central Government, any State Government, a local authority, a co-operative society or a bank;

(ii) a debt due to any Government company within the meaning of the Companies Act, 1956 (Parliament Act 1 of 1956);

(iii) a debt due to the Life Insurance Corporation of India established under the Life Insurance Corporation Act, 1956 (Parliament Act 3 of 1956), or other corporations established under any law for the time being in force;

(iv) any rent due in respect of any property let out to a debtor;

(v) any liability arising out of breach of trust or any tortious liability;

(vi) any liability in respect of wages or remuneration due as salary or otherwise for services rendered;

(vii) any liability in respect of maintenance whether under a decree of civil court or otherwise;

(viii) any debt which represents the price of any goods or property purchased by a debtor;

(ix) any advance of money given to the debtor by a person as the price of goods or property to be sold later on;

(x) any advance of wages whether in cash or in kind, or partly in cash or partyly in kind, made to a debtor at his instance by a person in pursuance of a contract of service for a specified period:

Provided that the rate of wages settled is not less than the minimum rate of wages fixed by law:

(xi) any sum recoverable as arrears of land revenue;

(g) "debtor" means an agricultural labourer, a marginal farmer, a small farmer or a rural artisan, who owes a debt;

(h) "marginal farmer" means a person who owns land not exceeding one hectare of unirrigated agricultural land and whose principal means of livelihood is income from such land or by manual labour on land not exceeding one hectare of unirrigated agricultural land or from production or repair of traditional tools, implements and other articles or things used for agriculture or purposes ancillary thereto or by practising craft by his own labour or by the labour of the members of his family in a rural area;

(i) "rural artisan" means a person who does not own any agricultural land and whose principal means of livelihood is production or repair of traditional tools, implements and other articles or things used for agriculture or purposes ancillary thereto and also a person who normally earns his livelihood by practising a craft either by his own labour or by the labour of the members of his family in a rural area;

(j) "small farmer" means a person who owns land exceeding one hectare but not exceeding two hectares of unirrigated agricultural land and whose principal means of livelihood is income from such land or by manual labour on land exceeding one hectare but not exceeding two hectares of unirrigated agricultural land or from production or repair of traditional tools, implements and other articles or things used for agriculture or purposes ancillary thereto or by practising craft by his own labour or by the labour of the members of his family in a rural area.

Explanation.—For the purposes of clauses (h) and (j), one hectare of perennially irrigated land shall be equated with two hectares of non-perennial irrigated land and three hectares of un-irrigated land.

3. **Exclusion of time for limitation.**—In computing the period of limitation for a suit for the recovery of a debt or an application for the execution of a decree passed in such suit, the time during which the institution of the suit or the making of the application was barred by section 3 of the Haryana Relief of Agricultural Indebtedness Act, 1975 (Haryana Act 22 of 1975), as extended to the Union territory of Chandigarh, shall be excluded.

4. **Interest not to accrue in respect of debt.**—No interest shall accrue in respect of debt on or after the 1st day of October, 1975.

5. **Discharge of debt.**—Notwithstanding anything contained in any enactment for the time being in force or in any contract or other instrument having the force of law,—

(a) every debt, together with any interest payable thereon, owed on the commencement of this Act by an agricultural labourer, a rural artisan, or a marginal farmer, whose annual household income does not exceed two thousand and four hundred rupees, shall be deemed to be wholly discharged;

(b) every debt owed to any person by an agricultural labourer, a rural artisan or a marginal farmer, whose annual household income exceeds two thousand and fou hundred rupees and a small farmer shall be deemed to be wholly discharged if—

(i) he, had in the discharge of his debt, paid a sum exceeding or equivalent to double the amount of the debt at any time before the commencement of this Act;

(ii) he, in the discharge of his debt, pays, after the commencement of this Act, a sum which, together with any sum already paid in the discharge of such debt, is equivalent to double the amount of the debt;

(c) every property pledged or mortgaged by a debtor whose debt is deemed to be discharged under clause (a) or clause (b), shall stand released in his favour when such debt is deemed to be discharged and the creditor shall, if he is in possession thereof, return the same to the debtor forthwith;

(d) subject to the provisions of clauses (a) and (b), the liability of a debtor to repay the debt, together with any interest payable thereon, shall not exceed twenty per cent of the gross value of his annual household income multiplied by seven and such liability shall be spread for repayment over a period up to seven years to be reckoned from the date of order of adjudication. No recovery of amount in excess of the debt liability scaled down shall be made and the portion of the debt in excess thereof shall be extinguished.

6. **Interest.**—The interest payable on the debt shall be calculated at the rate applicable to debt under the law, custom or contract or at a rate of six per cent per annum whichever is less and credit shall be given for all sums paid or credited first towards outstanding interest and the balance, if any, shall be credited towards repayment of the principal. The amount of principal and the interest outstanding will be considered as the net outstanding debt on the 1st day of October, 1975, for the purpose of scaling down.

7. **Appointment of debt settlement officer.**—The Administrator may, for the purposes of settlement between the debtors and their creditors, appoint debt settlement officers and define the local areas in which they shall exercise jurisdiction.

8. **Application for settlement.**—A debtor or any of his creditors may apply within a period of six months from the date of notification under sub-section (2) of section 1, to the debt settlement officer appointed for the area in which a debtor resides or holds any land to effect a settlement between the debtor and his creditors.

9. **Verification of application.**—Every application to a debt settlement officer shall be in writing and be signed by the applicant and verified in such manner as may be prescribed.

10. **Particulars to be stated in application.**—(1) Every application presented by a debtor to the debt settlement officer shall contain the following particulars, namely:—

(a) the place where he resides or holds land;

(b) the particulars of all claims against him together with names and residences of his creditors;

(c) the particulars of all his property, together with a specification of the value of such property and the place or places at which any such property is to be found;

(d) the particulars of his household income;

(e) a statement containing full particulars showing that he is a debtor;

(f) a statement whether he has previously filed an application in respect of the same debt before the debt settlement officer, and if so, with what result.

(2) Every application presented by a creditor shall contain the following particulars, namely:—

(a) the place where the debtor resides or holds land;

(b) the amount and particulars of his claim against such debtor;

(c) a statement containing full particulars of the debtor.

11. **Procedure on receipt of application.**—(1) On receipt of an application under section 8, the debt settlement officer shall pass an order fixing a date and place for hearing the application.

(2) Notice of the order under sub-section (1) shall be sent to creditors by registered post, acknowledgment due, at the cost of the applicant and where the debtor is not the applicant, notice of the order under sub-section (1) shall be sent to him in a similar manner.

12. **Notice calling creditors to submit statements of debts.**—(1) On the date fixed, the debt settlement officer shall publish, in such manner as may be prescribed, a notice, calling upon every creditor of the debtor to submit a statement of debts owed to such creditor by the debtor. Such statement wherein the creditor shall show whether he is registered under the Punjab Registration of Money Lenders Act, 1938 (Punjab Act 3 of 1938), and had complied with the provisions thereof, shall be submitted to the debt settlement officer in writing within a period of two months from the date of publication of the notice;

Provided that, if the debt settlement officer is satisfied that any creditor was, for good and sufficient cause, unable to comply with such direction or to produce the documents required under sub-section (1) of section 13 within the period fixed, it may extend the period for the submission of his statement of the debts owed to him or for the production of such documents.

(2) Every debt owed to a single creditor of which no such statement has been submitted to the debt settlement officer in compliance with the provisions of sub-section (1) shall be deemed to be duly discharged for all purposes and all occasions against such creditor; and every debt owed to two or more creditors jointly of which such a statement or statements signed by all such creditors or their recognised agents has or have not been so submitted, shall be deemed to be so discharged against such creditors as have failed to submit the said statement but only to the extent of their respective shares in the said debt.

(3) If the creditor or any of the joint creditors fails without sufficient cause to be present in person or by his recognised agent or, with the permission of the debt settlement officer by legal practitioner at any of the hearings fixed by the debt settlement officer, or fails to produce full particulars and documents as required under sub-section (1)

of section 13, the debt due to him or to the joint creditors, as the case may be, shall be deemed for all purposes and all occasions to have been fully discharged.

(4) If any creditor proves to the satisfaction of the debt settlement officer that the notice was not served on him and that he had no knowledge of its publication or that he was unavoidably absent at any of the hearings fixed by the debt settlement officer, the debt settlement officer may revive that debt.

13. **Procedure on submission of statements of debts.**—(1) Every creditor submitting in compliance with a notice issued under sub-section (1) of section 12 a statement of the debts owed to him shall furnish, along with such statement, full particulars of all such debts, and shall at the same time produce all documents (including entries in books of account) on which he relies to support his claims, together with a true copy of every such documents:

Provided that a decree or order of a civil court shall be conclusive evidence as to the amount of the debt to which the decree relates, but the amount may be reduced if it exceeds double the principal loan or has been made up by including simple interest at a rate higher than six per cent per annum.

(2) The debt settlement officer shall after marking for the purpose of identification every original document so produced and verifying the correctness of the copy, retain the copy and return the original to the creditor.

14. **Power of debt settlement officer to adjudicate.**—(1) If a creditor or a debtor, as the case may be, challenges the genuineness or enforceability of any debt included in an application, the debt settlement officer shall adjudicate upon the issue.

(2) Any person aggrieved by a decision of the debt settlement officer under sub-section (1) may appeal therefrom to the Collector:

Provided that an appeal shall not lie from an order refusing to review or confirming on review a previous order.

(3) The period of limitation for an appeal under this section shall run from the date of the order appealed against and shall be thirty days.

(4) The debt settlement officer shall determine in the case of each debt shown in the application made by the debtor or his creditor under section 8, or in the statement furnished by the creditor under section 13, other than a debt declared non-genuine or unenforceable, the principal amount originally advanced, the amount paid by the debtor towards the principal or interest or both and the interest at the rate of six per cent per annum from the date the principal amount was advanced to the 1st day of October, 1975, however, that in calculating the interest, the payments made by the debtor from time to time shall first be adjusted against the interest due on the date of payment and then towards the principal and onwards interest shall be calculated on the principal amount thus remaining outstanding.

(5) Where the debtor is found to have repaid to the creditor an amount equal to, or exceeding, double the principal amount, or the debtor on being apprised of such findings pays an amount which makes the total repayment equal to double the amount of principal, the debt settlement officer shall declare the debt as fully discharged and thereupon the provisions of clause (c) of section 5 shall apply to the debt. In case the amount repaid to the creditor is found to be in excess of double the principal, the debt settlement officer shall order the refund of the same to the debtor by the creditor.

(6) The debt settlement officer shall estimate the annual household income of a debtor and determine, for the purpose of section 5, his liability and capacity to repay the debts outstanding against him.

(7) In the cases not falling under sub-section (5), the debt settlement officer shall, keeping in view the outstanding amount of principal and interest as determined under sub-section (4) and the paying capacity of the debtor determined under sub-section (6), as the case may be, order the payment of the amount in yearly equal instalments not exceeding seven:

Provided that in no case the debtor shall be required to pay towards the principal and the interest any amount that exceeds double the principal:

Provided further that where the amount of yearly instalment in respect of all the debts exceeds the paying capacity of the debtor, the debts shall be proportionately reduced so

as to make the yearly instalment equal to the paying capacity and on payment of the instalments so determined, the debt or debts shall stand fully discharged.

15. **Consequences of non-registration under Punjab Act 3 of 1938.**—In recording findings under section 14, the debt settlement officer may, where a creditor is not registered in accordance with the provisions of the Punjab Rgistration of Money Lenders Act, 1938 (Punjab Act 3 of 1938), disallowed the whole of his claim and declare the debt as fully discharged and where the creditor is found to have failed to comply with the provisions of the said Act with regard to maintenance and publication of accounts, disallow whole of the interest on the principal amount.

16. **Power of debt settlement officer to require attendance of persons and production of documents and to receive evidence.**—A debt settlement officer appointed under section 9 may exercise all such powers connected with the summoning and examining of parties and witnesses and with the production of documents as are conferred on civil courts by the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act 5 of 1908), and every proceeding before the debt settlement officer shall be deemed to be a judicial proceeding.

17. **Dismissal of application in default.**—If in the opinion of the debt settlement officer any applicant fails to conduct his application with due diligence, the debt settlement officer may dismiss the application at any stage.

18. **Decision of debt settlement officer to be final.**—If any question arises in any proceedings under this Act whether a loan or liability is a debt or not, or whether a person is a debtor or not, the decision of the debt settlement officer shall be final, and shall not be called into question in any court.

19. **Bar of civil suits.**—No civil court shall entertain—

(a) any suit, appeal or application for revision—

(i) to question the validity of any procedure or the legality of any order issued under this Act; and

(ii) to recover any debt which has been deemed to have been duly discharged under the provisions of this Act;

(b) any application to execute a decree passed by a civil court against a debtor;

(c) any suit for declaration, or any suit or application for injunction affecting any proceedings under this Act before a debt settlement officer.

20. **Review.**—Any person considering himself aggrieved by an order of the debt settlement officer and who, from the discovery of any new and important matter or evidence which, after the exercise of due diligence, was not within his knowledge or could not be produced by him at the time when such order was made, or on account of some mistake or error apparent on the face of the record, or for any other sufficient reason, desires to obtain a review of the order made against him, may apply for a review of such order to the debt settlement officer who may review the order and pass such order as he thinks fit:

Provided that he shall not under this section pass an order reversing or modifying any order affecting any person interested without giving such person an opportunity of being heard:

Provided further that no application for review shall be entertained if presented more than twelve months after the date of the order sought to be reviewed.

21. **Bar of appeal or revision.**—Save as otherwise expressly provided in this Act, no appeal or revision shall lie against any order passed by a debt settlement officer.

22. **Appearance of party before debt settlement officer by agent or by legal practitioner.**—In any proceedings under this Act, any party may be represented by an agent authorised in writing or with the permission of the debt settlement officer by a legal practitioner.

23. **Application of provisions of Parliament Act 36 of 1963.**—The provisions of the Limitation Act, 1963 (Parliament Act 36 of 1963), shall apply to an application made by a creditor under section 8 as if the application were a plaint in a suit for recovery of the loan.

24. **Recovery of sums due.**—The order of the Debt Settlement Officer passed under this Act shall be executed by the civil court having jurisdiction in the area as if it were a decree or order of that court.

25. **Power to make rules.**—(1) The Administrator may, by notification in the Chandigarh Gazette, make rules to provide for all matters for which provision is necessary or expedient for the purpose of giving effect to the provisions of this Act.

(2) The rules made under sub-section (1) shall be subject to previous publication in the Chandigarh Gazette.

(3) [Omitted.]

26. **Amendment of section 4 of Punjab Act 3 of 1938.**—Section 4 of the Punjab Registration of money Lenders Act, 1938 (Punjab Act 3 of 1938), shall be re-numbered as sub-section (1) of that section and after sub-section (1) as so re-numbered, the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(2) No money lender shall carry on the business of advancing loans unless he gets ..himself registered under sub-section (1).

(3) Any money lender who contravenes the provisions of sub-section (2) shall be liable, on conviction, to a fine not exceeding one thousand rupees for the first offence and two thousand rupees for every subsequent offence.".

27. **Repeal.**—The Haryana Relief of Agricultural Indebtedness Act, 1975 (Haryana Act 22 of 1975), as extended to the Union territory of Chandigarh, is hereby repealed.

[No. U-11015/3/76-UTL-(133)]

K. C. PANDEYA, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 1976

सा० का० नि० 385(अ).—केन्द्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा कृषि ऋणता अवमुक्ति अधिनियम, 1976 (1976 का हिरयाणा अधिनियम 18) को, जैसे कि वह इस अधिसूचना की तारीख पर हरियाणा राज्य में प्रवृत्त था, निम्नलिखित उपान्तरणों के अधीन रहते हुए, संघ राज्यक्षेत्र चण्डीगढ़ को विस्तारित करता है, अर्थात :—

उपान्तरण

1. समस्त अधिनियम में —

(क) "22 अगस्त, 1975" अंकों, संक्षेपाक्षर और शब्दों के स्थान पर जहां कहीं भी वे आए हों, "पहली अक्तूबर, 1975" अंक, संक्षेपाक्षर और शब्द रखे जायेंगे;

(ख) धारा 2 के खण्ड (च) के उपखण्ड (i) के सिवाय, "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं भी वे आए हों, "प्रशासक" शब्द रखा जाएगा;

(ग) "हरियाणा कृषि ऋणता अवमुक्ति अधिनियम, 1975 (1975 का हरियाणा अधिनियम, 22)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर जहां कहीं भी आए हों, "संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ को यथाविस्तारित हरियाणा कृषि ऋणता अवमुक्ति अधिनियम, 1975(1975 का हरियाणा अधिनियम, 22)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

2. धारा 1 में, उपधारा (2) में, "अधिसूचना द्वारा" शब्दों के स्थान पर चण्डीगढ़ राजपत्र में "अधिसूचना द्वारा" शब्द रखे जायेंगे ।

3. धारा 2 में, —

(क) खण्ड (क) को खण्ड (कक) के रूप में पुनः अक्षरांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः अक्षरांकित खण्ड से पूर्व निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(क) 'प्रशासक' से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त संघ राज्यक्षेत्र चण्डीगढ़ का प्रशासक अभिप्रेत है" ;

(ख) खण्ड (ख) में, उपखण्ड (7) में, "केन्द्रीय सरकार राजपत्र में" शब्दों के स्थान पर "प्रशासक चण्डीगढ़ राजपत्र में" शब्द रखे जाएँ ।

4. धारा 25 में, —

(क) उपधारा (1) में, 'राजपत्र' शब्द के स्थान पर "चंडीगढ़ राजपत्र' शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में, 'पूर्व प्रकाशन' शब्दों के स्थान पर 'चंडीगढ़ राजपत्र में पूर्व प्रकाशन' शब्द रखे जाएंगे;

(ग) उपधारा (3) का लोप किया जाएगा ।

उपाबन्ध

संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ को यथा विस्तारित हरियाणा कृषि ऋणता अवमुक्ति अधिनियम 1976 (1976 का हरियाणा अधिनियम 18)

कृषिक मजदूरों, ग्रामीण कारीगरों, उपान्तिक किसानों और छोटे किसानों को ऋणता से राहत दिलाने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के सताईसवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हरियाणा कृषि ऋणता अवमुक्ति अधिनियम, 1976 है ।

(2) धारा 3 और 4 के उपबन्धों को पहली अक्तूबर, 1975 से प्रवृत्त समझा जाएगा और शेष उपबन्ध ऐसी तारीख को प्रवृत्त होंगे जिसे प्रशासन, अधिसूचना द्वारा चण्डीगढ़ राजपत्र में नियत करे ।

2. **परिभाषाएं.**—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) 'प्रशासक' से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ का प्रशासक अभिप्रेत है ।

(कक) "कृषि मजदूर" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो निम्नलिखित कृषि व्यवसायों में से किसी एक व्यवसाय या अधिक व्यवसायों को भाड़े पर या विनियम के आधार पर, चाहे पंदाय नकदी में किया जाए या वस्तु के रूप में, या भागतः नकदी में और भागतः वस्तु के रूप में, किसी मजदूर की हैसियत में अपनाता है :—

(i) खेती में काश्त तथा भूमि की जुताई आदि भी है ;

(ii) दुग्ध उद्योग;

(iii) उद्यान कृषि की वस्तु का उत्पादन, काश्त करना, उगाना तथा काटना;

(iv) पशुधन, मधुमक्खी और मुर्गी पालन करना ; और

(v) किसी फार्म पर खेती के कार्यों के आनुषंगिक या उसके साथ किया गया कोई व्यवसाय (जिसमें वन-विज्ञान तथा इमारती लकड़ी सम्बन्धी क्रियाएं सम्मिलित हैं) और खेती उत्पादन को मण्डी के लिए तैयारी और परिवहन के लिए भंडारकरण या मंडी में या वाहन को परिदान करना ।

(ख) "बैंक से—

(i) बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम, 10) में यथा परिभाषित कोई बैंककारी कम्पनी अभिप्रेत है ।"

(ii) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का संसद अधिनियम 23) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक अभिप्रेत है;

(iii) भारतीय स्टेट बैंक (समानुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का संसद अधिनियम, 38) में यथा परिभाषित समानुषंगी बैंक अभिप्रेत हैं;

(iv) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का संसद अधिनियम 5) के अधीन गठित तत्स्थानी नया बैंक अभिप्रेत है;

(v) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम, 10) की धारा 51 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कोई बैंककारी संस्था अभिप्रेत है;

(vi) कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम अधिनियम, 1963 (1963 का संसद अधिनियम, 10) के अधीन गठित कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम अभिप्रेत है; तथा

(vii) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए किसी बैंक के रूप में राज्यपाल द्वारा चण्डीगढ़ राजपत्र में अधिसूचित कोई अन्य वित्तीय संस्था अभिप्रेत है।

(ग) "सिविल न्यायालय" में निम्नलिखित सम्मिलित हैं —

(i) ऐसा न्यायालय, जो प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 (1920 केन्द्रीय का अधिनियम 5) के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करता है ।

(ii) ऐसी पंचायत जो पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1953 (1953 का पंजाब अधिनियम 4) के अधीन स्थापित की गई हो और सिविल न्यायालय के कृत्य कर रही हो ।

(iii) ऐसा न्यायालय जो प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887 (1887 का केन्द्रीय अधिनियम, 9) के अधीन शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो।

(घ) "कलेक्टर" से किसी जिले का प्रधान राजस्व अधिकारी अभिप्रेत है और इसमें इस नियम के अधीन शासक द्वारा कलेक्टर को शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियक्त अन्य अधिकारी भी सम्मिलित है ।

(ङ) "सहकारी समिति" से ऐसी समिति अभिप्रेत है जो पंजाब सहकारी समिति अधिनियम, 1961 (1961 का पंजाब अधिनियम, 25) के अधीन राजिस्ट्रीकृत हो या रजिस्ट्रीकृत समझी गई हो ।

(च) 'ऋण' के अन्तर्गत किसी लेनदार को नकदी या वस्तु के रूप में देय सभी दायित्व सम्मिलित हैं, चाहें वे प्रतिभूत हों या अप्रतिभूत तथा किसी सिविल न्यायालय की डिक्री या आदेश के अधीन या अन्यथा संदेय हों और इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को विद्यमान हों, चाहे वे देय हों या नहीं किन्तु इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं —

(i) केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार, किसी स्थानीय प्राधिकरण, किसी सहकारी सोसायटी या किसी बैंक को देय ऋण;

(ii) कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का संसद अधिनियम 1) के अर्थ में किसी सरकारी कम्पनी को देय ऋण;

(iii) जीवन बीमा निगम कम्पनी, 1956 (1956 का संसद अधिनियम 3) के अधीन स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम को या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित किन्हीं अन्य निगमों को देय ऋण;

(iv) किसी ऋणी को किराए पर दी गई किसी सम्पति के सम्बन्ध में देय कोई भाटक ।

(v) न्यास भंग से उत्पन्न होने वाला दायित्व या अपकृत्य सम्बन्धी कोई दायित्व ।

(vi) की गई सेवाओं के लिए वेतन के रूप में या अन्यथा देय मजदूरी या पारिश्रमिक के सम्बन्ध में दायित्व ।

(vii) भरण-पोषण के सम्बन्ध में कोई दायित्व, चाहे वह सिविल न्यायालय की किसी डिक्री के अधीन हो या अन्यथा ।

(viii) ऐसा ऋण जो किसी ऋणी द्वारा क्रय किए गए माल या सम्पत्ति की कीमत का द्योतक है ।

(ix) ऐसा अग्रिम धन जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऋणी को, बाद में विक्रीत किए जाने वाले माल या सम्पत्ति की कीमत के रूप में दिया गया है ।

(x) मजदूरी का अग्रिम, चाहे वह नकदी में हो या वस्तु के रूप में हो या भागतः नकदी में हो या भागतः वस्तु के रूप में हो, जो किसी व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि तक सेवा संविदा के अनुसरण में किसी ऋणी को उसके कहने पर दिया गया हो ;
परन्तु यह तब जब कि देय मजदूरी की दर विधि द्वारा नियम मजदूरी की न्यूनतम दर से कम न हो ।

(xi) भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य कोई राशि;

(xii) 'ऋणी' से ऐसा कृषि मजदूर, उपान्तिक किसान छोटा किसान या ग्रामीण कारीगर अभिप्रेत है जिसने ऋण देना है ।

(ज) 'उपान्तिक किसान' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो एक हेक्टेयर तक की असिंचित कृषि भूमि का स्वामी है और जिसकी आजीविका का मुख्य साधन ऐसी आय है जो किसी ग्रामीण क्षेत्र में, ऐसी भूमि से या एक हेक्टेयर तक की असिंचित कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम द्वारा या कृषि या उसके अनुषंगी प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले परम्परागत औजारों, उपकरणों, अन्य वस्तुओं या चीजों के उत्पादन या उनकी मरम्मत से या स्वयं अपने या अपने परिवार के सदस्यों के श्रम से शिल्प कर्म द्वारा होती है ।

(झ) 'ग्रामीण कारीगर' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी कृषि भूमि का स्वामी नहीं है और जिसकी आजीविका का मुख्य साधन कृषि या उसके समनुषंगी प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले परम्परागत औजारों, उपकरणों तथा अन्य वस्तुओं या चीजों के उत्पादन या मरम्मत है है और इसमें ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है जो सामान्यतया अपनी आजीविका या तो स्वयं अपने श्रम से या अपने कुटुम्ब के सदस्यों के श्रम से किसी ग्रामीण क्षेत्र में शिल्पकर्म द्वारा उपार्जित करता है ।

(ञ) 'छोटा किसान' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो एक हैक्टेयर से अधिक की किन्तु दो हैक्टेयर से अनधिक की असिंचित कृषि-भूमि का स्वामी है और जिसकी आजीविका का मुख्य साधन ऐसी आय है जो ऐसी भूमि से या एक हैक्टेयर से अधिक की किन्तु दो हैक्टेयर से अनधिक की असिंचित कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम द्वारा या कृषि या उसके समनुषंगी प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले परम्परागत औजारों, उपकरणों तथा अन्य वस्तुओं तथा चीजों के उत्पादन या मरम्मत से या स्वयं अपने श्रम द्वारा या अपने कुटुम्ब के सदस्यों के श्रम द्वारा किसी ग्रामीण क्षेत्र में शिल्पकर्म से होती है ।

स्पष्टीकरण :—खण्ड (ज) और (झ) के प्रयोजनों के लिए, बारहमासी सिंचित भूमि का एक हैक्टेयर गैर-बारह मासी सिंचित भूमि के दो हैक्टेयर और असिंचित भूमि के तीन हैक्टेयर के बराबर होगा ।

3. **परिसीमा के लिए समय का अपवर्जन.**—किसी ऋण की वसूली के लिए या ऐसे बाद में पारित डिक्री के निष्पादन के आवेदन के लिए, परिसीमा की अवधि की गणना करने में, वह समय जिसके दौरान संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ को यथाविस्तारित, हरियाणा कृषि ऋणता अवमुक्ति अधिनियम, 1975 (1975 का हरियाणा अधिनियम, 22) की धारा 3 द्वारा वाद का संस्थित करना या आवेदन देना वर्जित था, अपवर्जित किया जाएगा ।

4. **ऋण की बाबत ब्याज प्रोद्भूत नहीं होगा.**—पहली अक्तूबर, 1975 को या उसके पश्चात ऋण की बाबत कोई ब्याज प्रोद्भूत नहीं होगा ।

5. **ऋण मुक्ति.**—तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति में या विधि का बल रखने वाली किसी संविदा या अन्य लिखित में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) किसी ऐसे कृषि मजदूर, ग्रामीण कारीगर या उपान्तिक किसान द्वारा, जिसकी वार्षिक घरेलू आय 2,400 रु० से अधिक न हो, इस अधिनियम के

प्रारम्भ के समय देय प्रत्येक ऋण को उस पर संदेय ब्याज सहित पूरी तरह से चुकाया गया समझा जाएगा ।

(ख) किसी ऐसे कृषि मजदूर, ग्रामीण कारीगर या किसी उपान्तिक किसान द्वारा जिसकी वार्षिक घरेलू आय 2,400 रु० से अधिक हो तथा छोटे किसान द्वारा किसी व्यक्ति को देय प्रत्येक ऋण को उस दशा में पूरी तरह से चुकाया गया समझा जाएगा, जबकि—

(i) उसने अपने ऋण चुकाने के लिए इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व किसी भी समय ऋण की राशि के चुगने से अधिक या उसके बराबर राशि संदत्त की है ।

(ii) वह अपने ऋण चुकाने के लिए इस अधिनियम, के प्रारम्भ के पश्चात ऐसी राशि संदत्त करता है जो ऐसे ऋण चुकाने के लिए पहले ही संदत्त की गई किसी राशि सहित, ऋण की दुगती राशि के बराबर है ।

(ग) किसी ऐसे ऋणी द्वारा जिसके ऋण खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन चुकाया गया समझा जाए, गिरवीं रखी गई या बन्धक की गई प्रत्येक सम्पत्ति, उस समय उसके पक्ष में निर्मुक्त हो जाएगी जब कि ऐसा ऋण का चुकाया जाना समझा जाता है और लेनदार, यदि सम्पति उसके कब्जे में हो, उसे तत्काल ऋणी को लौटा देगा ।

(घ) खण्ड (क) और (ख) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऋण का प्रतिसंदाय करने के लिए किसी ऋणी के, ऋण तथा उस पर संदेय ब्याज को बाबत दायित्व, वार्षिक घरेलू आमदनी को सात से गुणा करके जो सकल मूल्य आता है उसके सात प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और ऐसे दायित्व के प्रतिसंदाय के लिए सात वर्ष तक की अवधि तक विस्तारित किया जाएगा जिसकी गणना न्याय-निर्णयन के आदेश की तारीख से की जायगी । कम किए गए ऋण के दायित्व से अधिक राशि की वसूली नहीं की जाएगी और उसे अधिक ऋण के भाग को समाप्त कर दिया जाएगा ।

6. **ब्याज.**—ऋण पर देय ब्याज की गणना, विधि, रुढ़ि या संविदा के अधीन ऋण को लागू दर पर या 6 प्रतिशत के वार्षिक दर पर , इनमें से जो भी कम हों, की जायगी और जमा की गई सभी राशियों में से पहले बकाया ब्याज घटाया जाएगा और अतिशेष यदि कोई हो, को मूलधन के प्रतिसंदाय के लिए जमा किया जाएगा । मूलधन तथा बकाया ब्याज की राशि को कम करने के प्रयोजन के लिए पहली अक्तूबर 1975 को शुद्ध बकाया ऋण के रूप में समझा जाएगा ।

7. **ऋण निपटारा अधिकारियों की नियुक्ति.**—प्रशासक, ऋणियों और उनके लेनदारों के बीच निपटारा करने के प्रयोजन के लिए, ऋण निपटारा अधिकारियों को नियुक्त कर सकेगा और ऐसे स्थानीय क्षेत्रों को परिनिश्चित कर सकेगा जिनमें वे अपनी अधिकारिता का प्रयोग करेंगे ।

8. **निपटारे के लिए आवेदन.**—कोई ऋणी या उसका कोई लेनदार, धारा 1 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना की तारीख से 6 मास की अवधि के भीतर, उस क्षेत्र के लिए जिसमें ऋणी निवास करता है या ऐसी भूमि धारण करता है, ऋणी और उसके लेनदारों के बीच निपटारा करने के लिए, नियुक्त ऋण निपटारा अधिकारी को आवेदन करेगा ।

9. **आवेदन का सत्यापन.**—ऋण निपटारा अधिकारी को प्रत्येक आवेदन लिखित रूप में किया जाएगा और उस पर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और उसे ऐसी रीति में सत्यापित किया जाएगा जो वह विनिर्दिष्ट करे ।

10. (1) **आवेदन में विशिष्टियों का दिया जाना.**—(1) ऋण निपटारा अधिकारी को ऋणी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रत्येक आवेदन में निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी, अर्थात्:—

(क) वह स्थान, जहां वह निवास करता है या भूमि धारण करता है;

(ख) अपने विरुद्ध सभी दायित्वों की बाबत विशिष्टियां तथा अपने लेनदारों के नाम और निवास स्थान;

(ग) अपनी सभी सम्पत्ति की बाबत् विशिष्टियां तथा ऐसी सम्पत्ति के मूल्य की बाबत् विनिर्देश और वह स्थान या वे स्थान जहां ऐसी सम्पत्ति पाई जाती है;

(घ) उसकी घरेलू आय की बाबत् विशिष्टियां;

(ङ) ऐसा विवरण जिसमें यह दर्शित करने वाली पूरी विशिष्टियां होंगी कि वे ऋणी है;

(च) ऐसा विवरण कि क्या उसी ऋण की बाबत् उसने पहले भी ऋण निपटारा अधिकारी को आवेदन किया है और यदि ऐसा है तो उसका क्या परिणाम रहा है ।

(2) लेनदार द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रत्येक आवेदन में निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी, अर्थात् :—

(क) वह स्थान जहां ऋणी निवास करता है या भूमि धारण करता है;

(ख) ऐसे ऋण के विरुद्ध उसके दावे की रकम और विशिष्टियां;

(ग) ऐसा विवरण जिसमें ऋणी के बारे में पूरी विशिष्टियां हों ।

11. **आवेदन की प्राप्ति पर प्रक्रिया.**—(1) धारा 8 के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर ऋण निपटारा अधिकारी, आवेदन की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत करने वाला आदेश पारित करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन आदेश की सूचना, लेनदारों को रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा आवेदक के खर्चे पर भेजी जाएगी और जहां ऋणी आवेदक नहीं है वहां उपधारा (1) के अधीन आदेश की सूचना उसे इसी रीति में भेजी जाएगी ।

12. **लेनदारों से ऋण के विवरण प्रस्तुत करने की बाबत् सूचना.**—(1) नियत तारीख को ऋण निपटारा अधिकारी ऐसी रीति में जो विहित की जाए, ऋण के प्रत्येक लेनदार से यह मांग करते हुए सूचना प्रकाशित करेगा कि वह ऋणी द्वारा ऐसे लेनदार को देय ऋणों की बाबत् विवरण प्रस्तुत करे । ऐसा विवरण, जिसमें लेनदार यह दर्शित करेगा कि क्या वह पंजाब साहूकार रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1938 (1938 का पंजाब अधिनियम 3) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है । और उसने उसके

उपबन्धों का अनुपालन किया है, सूचना के प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर ऋण निपटारा अधिकारी को लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाएगा :

परन्तु यदि ऋण निपटारा अधिकारी का समाधान हो जाता है कि कोई लेनदार अच्छे और पर्याप्त कारण से ऐसे निदेश का पालन करने में या धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन नियत अवधि के भीतर अपेक्षित दस्तावेज पेश करने में असमर्थ रहा है तो वह उसके द्वारा देय ऋणों का विवरण प्रस्तुत करने की या ऐसे दस्तावेज पेश करने की अवधि को बढ़ा सकेगा ।

(2) किसी एक लेनदार को देय ऋण, जिसके बारे में उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण के अनुपालन में ऋण निपटारा अधिकारी को ऐसे विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसे लेनदार के विरुद्ध सभी प्रयोजनों तथा अवसरों के लिए सम्यकतः चुकाया गया समझा जाएगा और दो या अधिक लेनदारों को संयुक्त रूप से देय ऋण जिसके बारे में ऐसे सभी लेनदार या उनके मान्यता प्राप्त अभिकर्ताओं द्वारा अस्ताक्षरित विवरण इस प्रकार प्रस्तुत नहीं किया गया है या प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, उन लेनदारों के विरुद्ध जिन्होंने उक्त विवरण प्रस्तुत नहीं किया है, इस प्रकार चुकाया गया समझा जाएगा किन्तु वह उक्त ऋण में केवल अपने अपने अंशों के परिणाम तक सीमित होगा ।

(3) यदि लेनदार या संयुक्त लेनदारों में से कोई ऋण निपटारा अधिकारी द्वारा नियत की गई सुनवाई में, पर्याप्त कारण के बिना स्वयं हाजिर नहीं होता या अपने मान्यता प्राप्त अभिकर्ता के माध्यम से हाजिर नहीं होता या ऋण निपटारा अधिकारी की अनुज्ञा से विधि व्यवसायी द्वारा हाजिर नही होता या धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन यथा-अपेक्षित पूरी विशिष्टियां और दस्तावेज पेश करने में असफल रहता है तो, यथास्थिति, उसे या संयुक्त लेनदारों को, देय ऋण सभी प्रयोजनों तथा अवसरों के लिए पूर्णतः चुकाया गया समझा जाएगा ।

(4) यदि कोई लेनदार ऋण निपटारा अधिकारी के समाधानप्रद रूप में सिद्ध कर देता है कि उसको सूचना की तामील नहीं की गई थी और उसे उसके प्रकाशन को कोई ज्ञान नहीं था या ऋण निपटारा अधिकारी द्वारा नियत की गई किसी सुनवाई में वह अपरिहार्य रूप से अनुपस्थित था, तो ऋण निपटारा अधिकारी उस ऋण को पुनः प्रवर्तित कर सकेगा ।

13. **ऋण की बाबत ऋण प्रस्तुत करने पर प्रक्रिया.**—(1) धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सूचना के अनुपालन में उसे देय ऋणों का विवरण प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक लेनदार, ऐसे विवरण के साथ ऐसे ऋणों की पूरी विशिष्टियां प्रस्तुत करेगा और साथ-साथ ऐसे दस्तावेज (जिसमें लेखा बहियों की प्रविष्टियां भी हैं) जिन पर वह अपने दायित्वों का समर्थन करने के लिए निर्भर करता है, प्रत्येक दस्तावेज की सही प्रति के साथ, प्रस्तुत करेगा :

परन्तु किसी सिविल न्यायालय की कोई डिक्री या आदेश उस ऋण की रकम की बाबत् जिससे डिक्री का सम्बन्ध है, निश्चायक साक्ष्य होगी, किन्तु यदि राशि मूल उधार की राशि के दुगने से अधिक है या 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक दर पर साधारण ब्याज को सम्मिलित करके बनी है, तो राशि को कम किया जा सकेगा ।

(2) ऋण निपटारा अधिकारी इस प्रकार पेश की गई प्रत्येक मूल दस्तावेज को पहचान के प्रयोजन के लिए अंकित करने के पश्चात् तथा उस प्रति की शुद्धता का सत्यापन करने के पश्चात्, प्रति को रख लेगा और लेनदार को मूल लौटा दिया जाएगा ।

14. **ऋण निपटारा अधिकारी की न्याय निर्णयन की शक्ति.**—(1) यदि, यथास्थिति, कोई लेनदार या कोई ऋणी, किसी आवेदन में सम्मिलित ऋण का असली होना या प्रवर्त्यता के बारे में आक्षेप करता है तो ऋण निपटारा अधिकारी इस विवाद्यक पर न्याय निर्णयन करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन ऋण निपटारा अधिकारी के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति उसके विरुद्ध अपील कलैक्टर को कर सकेगा :

परन्तु पुनर्विलोकन से इंकार करने वाले आदेश के या किसी पूर्व आदेश को पुनर्विलोकन पर पुष्ट करने वाले आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी ।

(3) इस धारा के अधीन अपील के लिए परिसीमाकाल उस आदेश की जिसके विरुद्ध अपील की गई है, तारीख से प्रारम्भ होगी और वह तीस दिन की होगी ।

(4) ऋण निपटारा अधिकारी, धारा 8 के अधीन ऋणी या उसके लेनदार द्वारा दिए गए आवेदन में या धारा 13 के अधीन लेनदार द्वारा दिए गए विवरण में दिखाए गए प्रत्येक ऐसे ऋण की दशा में, जो उस ऋण से भिन्न है जिसके बारे में यह घोषित किया गया है कि वह असली नहीं पाया गया है या जो अप्रवर्तनीय है, मूल रूप से उधार दिए गए मूल धन का, ऋणी द्वारा मूलधन या ब्याज या दोनों की बाबत् संदत्त की गई रकम का तथा उस तारीख से जिसको मूलधन की राशि उधार दी गई थी, पहली अक्तूबर, 1975 तक 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का अवधारण करेगा, किन्तु ब्याज की गणना करने में, समय-समय पर ऋणी द्वारा किए गए संदायों को सबसे पहले संदाय की तारीख को देय ब्याज की ओर और उसके पश्चात् मूलधन की ओर समायोजित किया जाएगा और उसके आगे का ब्याज इस प्रकार शेष मूलधन की राशि पर गिना जाएगा ।

(5) जहां ऋणी के बारे में ऐसा पाया जाता है कि उसने मूलधन की राशि के दुगने के बराबर या उस से अधिक राशि लेनदार को प्रतिसंदत्त कर दी है या ऐसे निष्कर्ष का पता चलाने पर, ऋणी ने ऐसी राशि का सदाय कर दिया है जिसके कारण प्रतिसंदत्त की गई कुल राशि मूलधन की राशि के दुगने के बराबर हो जाती है, तो ऋण निपटारा अधिकारी उस ऋण को पूरी तरह से चुकाया गया घोषित कर गा तथा तदुपरि धारा 5 के खण्ड (ग) के उपबन्ध ऋण को लागू होंगे । यदि लेनदार को संदत्त की गई राशि मूलधन के दुगने से अधिक पाई जाती है तो ऋण निपटारा अधिकारी उस राशि को लेनदार द्वारा ऋणी को लौटाए जाने के बारे में आदेश करेगा ।

(6) ऋण निपटारा अधिकारी किसी ऋणी की वार्षिक घरेलू आय का प्राक्कलन करेगा और धारा 5 के प्रयोजनों के लिए, उसका दायित्व तथा उसके विरुद्ध बकाया ऋणों का प्रतिसंदाय करने की क्षमता अवधारित करेगा ;

(7) ऐसे मामलों में जो उपधारा (5) के अन्तर्गत नहीं आते है, ऋण निपटारा अधिकारी, यथास्थिति उपधारा (4) के अधीन यथा अवधारित शेष मूलधन और ब्याज की राशि और उपधारा (6) के अधीन अवधारित ऋणी की संदाय करने की क्षमता ध्यान में रखते हुए, राशि का संदाय सात से अनधिक बराबर वार्षिक किश्तों में करने का आदेश करेगा :

परन्तु किसी भी दशा में, ऋणी से मूलधन और ब्याज की बाबत ऐसी राशि के संदाय करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी जो मूलधन के दुगने से अधिक हो ।

परन्तु यह और कि जहां सभी ऋणों की बाबत वार्षिक किश्त की राशि, ऋणी के ऋण सदाय करने की क्षमता से अधिक हो जाती है, वहां ऋणों को ऐसे अनुपात में कम कर दिया जाएगा कि वार्षिक किश्त उसके सामर्थ्य के बराबर हो जाए और इस प्रकार अवधारित किश्तों के सदाय करने पर ऋण पूरी तरह उन्मुक्त हो जाएगा या हो जाएगी ।

15. **1938 के पंजाब अधिनियम 3 के अधीन रजिस्ट्रीकरण न कराने के परिणाम.**— धारा 14 के अधीन निष्कर्ष अभिलिखित करते समय, ऋण निपटारा अधिकारी, जहां कोई लेनदार पंजाब साहूकार रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1938 (1938 का पंजाब अधिनियम 3) के उपबन्धों

के अनुसार रजिस्ट्रीकृत नहीं है उसके पूरे दावे को नामंजूर कर सकेगा और ऋण को पूरी तरह से चुकाया गया घोषित कर सकेगा और जहां यह माना जाता है कि लेनदार उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार लेखाओं के रखे जाने और प्रकाशन के बारे में असफल है, वहां वह मूलधन की राशि पर के पूरे ब्याज को नामंजूर कर सकेगा।

16. **ऋण निपटारा अधिकारी की व्यक्तियों की उपस्थिति को तथा दस्तावेजों के पेश करने की और साक्ष्य लेने की अपेक्षा करने की शक्ति.**—धारा 9 के अधीन नियुक्त ऋण निपटारा अधिकारी, पक्षकारों तथा साक्षियों को बुलाने तथा उनकी परीक्षा करने और से दस्तावेजों को पेश करने से संबंधित ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) द्वारा सिविल न्यायालयों को प्रदान की गई हैं और ऋण निपटारा अधिकारी के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही को न्यायिक कार्यवाही के रूप में समझा जाएगा।

17. **व्यतिक्रम की दशा में आवेदन का खारिज किया जाना.**—यदि ऋण निपटारा अधिकारी की राय में कोई आवेदक अपने आवेदन का संचालन सम्यक् तत्परता से करने में असफल रहता है, तो ऋण निपटारा अधिकारी आवेदन को किसी भी प्रक्रम पर खारिज कर सकेगा।

18. **ऋण निपटारा अधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा.**—यदि इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई उधार या दायित्व ऋण है या नहीं या कोई व्यक्ति ऋणी है या नहीं, तो ऋण निपटारा अधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा और उसे किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

19. **सिविल वादों का वर्जन.**—कोई भी सिविल न्यायालय निम्नलिखित ग्रहण नहीं करेगा :—

(क) निम्नलिखित के लिए कोई वाद, अपील या पुनरीक्षण का आवेदन—

(i) किसी प्रक्रिया की विधिमान्यता या इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए किसी आदेश की वैधता को प्रश्नगत करने के लिए ;

(ii) ऐसे ऋण को वसूल करने के लिए जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन सम्यकतया उन्मुक्त समझा गया है ;

(ख) ऋणी के विरुद्ध सिविल न्यायालय द्वारा पारित बिक्री के निष्पादन के लिए कोई आवेदन;

(ग) घोषणा करने के लिए कोई ऐसा वाद या व्यादेश के लिए कोई ऐसा वाद या आवेदन जो इस अधिनियम के अधीन ऋण निपटारा अधिकारी के सामने किन्हीं कार्यवाहियों को प्रभावी करता हो।

20. **पुनर्विलोकन.**—कोई व्यक्ति, जो ऋण निपटारा अधिकारी के किसी आदेश से व्यथित है और जो किसी ऐसे नए और महत्वपूर्ण मामले या साक्ष्य के, जो सम्यक् तत्परता बरतने पर भी उसकी जानकारी में नहीं था या ऐसा आदेश किए जाने के समय उसके द्वारा पेश नहीं किया जा सकता था, पता चलने पर या किसी गलती या भूल के कारण जो अभिलेख के देखने से ही स्पष्ट प्रतीत होती है या किसी अन्य पर्याप्त कारण से, अपने विरुद्ध किए गए किसी आदेश का पुनर्विलोकन कराना चाहता हो ऋण निपटारा अधिकारी को ऐसे आदेश के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकेगा तथा ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसे वह ठीक समझे :

परन्तु इस धारा के अधीन किसी हितबद्ध व्यक्ति को प्रभावी करने वाले किसी आदेश को उलटने या उपान्तरित करने वाला कोई आदेश ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं करेगा ;

परन्तु यह और कि पुनर्विलोकन के लिए कोई आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा, यदि वह, उस आदेश की जिसका पुनर्विलोकन चाहा गया है, तारीख से 12 मास के पश्चात् प्रस्तुत किया जाता है ।

21. **अपील या पुनरीक्षण का वर्जन.**—इस अधिनियम में अभिव्यक्तत: अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ऋण निपटारा अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं होगा ।

22. **ऋण निपटारा अधिकारी के समक्ष अभिकर्ता या विधि व्यवसायी के माध्यम से पक्षकार का उपस्थित होना.**—इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में, किसी पक्षकार का प्रतिनिधित्व लिखित रूप में प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा या ऋण निपटारा अधिकारी की अनुज्ञा से किसी विधि व्यवसायी द्वारा किया जा सकेगा ।

23. **1963 का संसद अधिनियम 36 के उपबन्धों का लागू होना.**—परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का संसद अधिनियम 36) के उपबन्ध, धारा 8 के अधीन किसी ऐसे आवेदन को इस प्रकार लागू होंगे मानो वह आवेदन उधार की वसूली के लिए किसी वाद में कदपत्र हो ।

24. **वेय राशियों की वसूली.**—इस अधिनियम के अधीन, ऋण निपटारा अधिकारी द्वारा किए गए आदेश का, उस क्षेत्र में अधिकारिता प्राप्त सिविल न्यायालय द्वारा ऐसे किया जाएगा मानो वह उस न्यायालय की डिक्री या आदेश हो ।

25. **नियम बनाने की शक्ति.**—(1) प्रशासक चण्डीगढ़ राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उन सभी विषयों की बाबत, जिनके लिए उपबन्ध करना इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन है, नियम बना सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाए गए नियमों को चण्डीगढ़ राजपत्र में प्रकाशित करना होगा ।

(3) लोप किया गया ।

26. **1938 के पंजाब अधिनियम 3 की धारा 4 का संशोधन.**—पंजाब साहूकार रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1938 (1938 का पंजाब अधिनियम 3) की धारा 4 को उस धारा की उपधारा (1) के रूप में पुन: संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन: संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्त: स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(2) कोई भी साहूकार उधार देने के कारबार तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह उपधारा (1) के अधीन उसका रजिस्ट्रीकरण नही हो जाता ।

(3) ऐसा साहूकार, जो उपधारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, दोषसिद्धि पर प्रथम अपराध के लिए एक हजार रुपए तक के और पश्चात्वर्ती प्रत्येक अपराध के लिए दो हजार रुपए तक के जुर्माने के लिए दायी होगा ।"

27. **निरसन.**—संघ राज्यक्षेत्र चण्डीगढ़ को यथा विस्तारित हरियाणा कृषि ऋणता अवमुक्ति अधिनियम, 1975 (1975 का हरियाणा अधिनियम 22) निरसित किया जाता है ।

[सं० यू० 11015/3/76-यू० टी० एल० (133)]

के० सी० पाण्डेय, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976